-07-2023 अभियुक्त अरविन्द उर्फ मुन्ना एवं रामसुचित पाण्डेय की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश त्रिपाठी ने एक आवेदन पत्र अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389 के अंतर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्त को उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील करना चाहता है। अतः अभियुक्त को अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदेश लाने तक जमानत पर छोड़ा जावे।

उक्त आवेदन को एम.जे.सी.आर. पंजी में दर्ज किया जावे।

प्रकरण कुछ समय पश्चात पेश हो।

विनोद कुमार चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
हनुमना, जिला रीवा म.प्र.

<u>पुनश्चः–</u>

पक्षकार पूर्ववत्।

प्रकरण एम.जे.सी.आर. पंजी क्रमांक 61/2023 के रूप में पंजीबद्ध पश्चात पुनः पेश।

उक्त आवेदन की प्रति ए0डी0पी0ओ0 को प्रदान की गई।

आवेदन पत्र पर उभयपक्षों को सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि इस न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक **RCT 451/2012 में** अभियुक्तगण को **भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 323, 323/34(दो शीर्ष) के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्धि कर निम्नानुसार दण्डादेश पारित किया जाता है:–**

क0	**अभियुक्त का नाम**	**अधिनियम एवं धारा**	**कारावास**	**अर्थदण्ड**	**व्यतिक्रम में कारावास**
1	अरविन्द पाण्डेय उर्फ मुन्ना	भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 323, 323/34(दो शीर्ष)	तीन माह का सश्रम कारावास	और 500–500/– रूपये (कुल एक हजार रूपये) के जुर्माने से	एक माह के सश्रम कारावास से दण्डित किया जाता है।
1	श्रामसुचित पाण्डेय	भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 323, 323/34(दो शीर्ष)	तीन माह का सश्रम कारावास	और 500–500/– रूपये (कुल एक हजार रूपये) के जुर्माने से	एक माह के सश्रम कारावास से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त अरविन्द की ओर से अर्थदंड की राशि चालान नंबर 042593, 043105 में 500—500 / — दिनांक—28.07.2023 एवं अभियुक्त रामसुचित पाण्डेय की ओर से अर्थदण्ड की राशि चालान क्रमांक 042556, 043118 में 500—500 / — दिनांक—28.07.2023 के माध्यम से संदाय किया जा चुका है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 389 (3) में यह प्रावधान किया गया है कि जहां दोषसिद्ध व्यक्ति ऐसे न्यायालय का जिसके द्वारा वह दोषसिद्ध किया गया है यह समाधान कर देता है कि वह अपील प्रस्तुत करना चाहता है वहां वह न्यायालयः

(1) उस दशा में जब ऐसा व्यक्ति जमानत पर होते हुये तीन वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है या

(2) उस दशा में जब वह अपराध जिसके लिये ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध किया गया है जमानती है और वह जमानत पर है

यह आदेश देगा कि दोषसिद्ध व्यक्ति को इतनी अवधि के लिए जितनी से अपील प्रस्तुत करने और अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जायेगा, जमानत पर छोड दिया जायेगा जब तक की जमानत से इंकार करने के विशेष कारण न हो और जब तक वह ऐसे जमानत पर छूटा रहता है तब तक वह कारावास का दंडादेश निलंबित समझा जायेगा।

चूंकि अभियुक्तगण को इस न्यायालय द्वारा **तीन—तीन माह** के सश्रम कारावास से दंडादिष्ट किया है जो कि अपील योग्य है और उक्त अपराध जमानती प्रकृति का है और अपराधी पूर्व से जमानत पर रहते हुये तीन वर्ष से अनाधिक अवधि के कारावास से दण्डाष्टि किया गया है और अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्व अपील किये जाने की इच्छा व्यक्त की है।

अतः इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अपील प्रस्तुत करने एवं अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए तीस दिन दिनांक 26.07.2023 का समय प्रदान किया जाता है जो कि इस न्यायालय के मतानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय होगा।

उक्त अवधि में अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदेश लाकर पेश करने तक **अभियुक्त अरविन्द्र एवं रामसुचित पाण्डेय की ओर से 10000—10000 / —(दस—दस हजार रूपये) की सक्षम जमानत** और इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र पेश करे तो दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 389 (3) के तहत इस शर्तों पर जमानत पर छोडा जाता है कि वह इस न्यायालय द्वारा विहित की गई अवधि अर्थात् दिनांक 26.07.2023 के भीतर इस न्यायालय द्वारा दिये गये दंडादेश के निष्पादन को स्थगित किये जाने वाला स्थगन आदेश प्रस्तुत करे।

प्रत्येक अभियुक्त को निःशुक्ल निर्णय की कापी प्रदान की जावे।

तदानुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389—3 निराकृत किया जाता है।

विनोद कुमार चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
हनुमना, जिला रीवा म.प्र.

पुनश्चः—

अभियुक्त की ओर से उक्त जमानत आदेश के पालन में जमानतदार रामलखन पाण्डेय पिता रामपदारथ पाण्डेय साकिन खटखरी थाना शाहपुर जिला रीवा म0प्र द्वारा भू—अधिकर ऋण पुस्तिका एल0 कमांक आर0ई0 37915 सहित 10000—10000 / — (दस—दस हजार रूपये) के जमानत प्रपत्र प्रस्तुत किये गये। जमानतदार की पहचान अधिवक्ता श्री राकेश त्रिपाठी अधिवक्ता द्वारा की गई।

अभियुक्तगण की ओर से इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत किया गया।

जमानत बाद तस्दीक स्वीकार की गयी।

प्रत्येक अभियुक्त को निर्णय की निःशुक्ल प्रति प्रदान की गई।

अभियुक्त को स्थगन आदेश लाने तक जमानत पर छोड़ा जावे।

प्रकरण स्थगन आदेश प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26.07.2023 को पेश हो।

विनोद कुमार चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
हनुमना, जिला रीवा म.प्र.

अभियुक्त संजय सिंह, मनीश सिंह एवं भूपेन्द्र सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री अभिषेक सिंह ने एक आवेदन पत्र अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389 के अंतर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्त को उक्त निर्णय के विरूद्व अपील करना चाहता है। अतः अभियुक्त को अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदेश लाने तक जमानत पर छोड़ा जावे।

उक्त आवेदन को एम.जे.सी.आर. पंजी में दर्ज किया जावे।

प्रकरण कुछ समय पश्चात पेश हो।

विनोद कुमार चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
हनुमना, जिला रीवा म.प्र.

पुनश्चः—

पक्षकार पूर्ववत्।

प्रकरण एम.जे.सी.आर. पंजी कमांक 40/2023 के रूप में पंजीबद्ध पश्चात पुनः पेश।

उक्त आवेदन की प्रति ए0डी0पी0ओ0 को प्रदान की गई।

आवेदन पत्र पर उभयपक्षों को सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि इस न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकरण कमांक **RCT 696/2010** में **01. भूपेंद्र सिंह तनय कृष्ण कुमार सिंह उर्फ लल्लू सिंह उम्र—लगभग 33 वर्ष, 02. मनीष प्रताप सिंह उर्फ डोनी सिंह पिता महेंद्र प्रताप सिंह उम्र—लगभग 35 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम मर्यादपुर (गनिगवां) थाना शाहपुर जिला रीवा म0प्र0 03. संजय सिंह उर्फ बाबा पिता शिवनारायण सिंह उम्र—लगभग 33 वर्ष, निवासी ग्राम चोरहा थाना शाहपुर जिला रीवा म0प्र0** को **भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 323, 323/34 (दो शीर्ष) के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्धि कर प्रत्येक अभियुक्त को तीन—तीन माह के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक अपराध के शीर्ष के लिये 500— 500/— (पांच—पांच सौ रूपए) कुल एक—एक हजार के जुर्माने से दण्डित किया जाता है।** अर्थदण्ड अदा न करने के व्यतिक्रम में अभियुक्त को एक माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताये जाने का दण्डादेश दिया गया है।

अभियुक्त भूपन्द्र सिंह की ओर से अर्थदंड की राशि चालान नंबर 012184 में 500 सौ एवं चालान क्रमांक–011181 में 500 सौ रूपये कुल 1000/– रूपये तथा मनीष प्रताप सिंह से अर्थदण्ड राशि चालान क्रमांक–012022 में 500 सौ रूपये तथा चालान क्रमांक–011216 में 500 सौ रूपये कुल 1000/–रूपये तथा संजय सिंह की ओर से अर्थदंड की राशि चालान नम्बर–011240 में 500 सौ रूपये तथा चालान क्रमांक–011981 में 500 सौ रूपये कुल 1000/–रूपये दिनांक–12.06.2023 के माध्यम से संदाय किया जा चुका है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 389 (3) में यह प्रावधान किया गया है कि जहां दोषसिद्ध व्यक्ति ऐसे न्यायालय का जिसके द्वारा वह दोषसिद्ध किया गया है यह समाधान कर देता है कि वह अपील प्रस्तुत करना चाहता है वहां वह न्यायालयः

(1) उस दशा में जब ऐसा व्यक्ति जमानत पर होते हुये तीन वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है या

(2) उस दशा में जब वह अपराध जिसके लिये ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध किया गया है जमानती है और वह जमानत पर है

यह आदेश देगा कि दोषसिद्ध व्यक्ति को इतनी अवधि के लिए जितनी से अपील प्रस्तुत करने और अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जायेगा, जमानत पर छोड दिया जायेगा जब तक की जमानत से इंकार करने के विशेष कारण न हो और जब तक वह ऐसे जमानत पर छूटा रहता है तब तक वह कारावास का दंडादेश निलंबित समझा जायेगा।

चूंकि अभियुक्तगण को इस न्यायालय द्वारा **तीन–तीन माह** के सश्रम कारावास से दंडादिष्ट किया है जो कि अपील योग्य है और उक्त अपराध जमानती प्रकृति का है और अपराधी पूर्व से जमानत पर रहते हुये तीन वर्ष से अनाधिक अवधि के कारावास से दण्डाष्टि किया गया है और अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्व अपील किये जाने की इच्छा व्यक्त की है।

अतः इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अपील प्रस्तुत करने एवं अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए तीस दिन दिनांक 11.07.2023 का समय प्रदान किया जाता है जो कि इस न्यायालय के मतानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय होगा।

उक्त अवधि में अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदेश लाकर पेश करने तक **अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह, मनीष प्रताप सिंह एवं संजय सिंह की ओर से 10000–10000/–(दस–दस हजार रूपये) की सक्षम जमानत** और इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र पेश करे तो दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 389 (3) के तहत इस शर्तों पर जमानत पर छोडा जाता है कि वह इस न्यायालय द्वारा विहित की गई अवधि अर्थात् दिनांक 11.07.2023 के भीतर इस न्यायालय द्वारा दिये गये दंडादेश के निष्पादन को स्थगित किये जाने वाला स्थगन आदेश प्रस्तुत करे।

प्रत्येक अभियुक्तगण को निःशुक्ल निर्णय की कापी प्रदान की जावे।

तद्नुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389–3 निराकृत किया जाता है।

विनोद कुमार चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
हनुमना, जिला रीवा म.प्र.

<u>पुनश्चः–</u>

अभियुक्तगण की ओर से उक्त जमानत आदेश के पालन में जमानतदार विपिन सिंह तनय शेषबहादुर सिंह उम्र–38 वर्ष साकिन ग्राम मर्यादपुर थाना शाहपुर जिला रीवा म0प्र0 द्वारा भू–अधिकर ऋण पुस्तिका एल कमांक एल 653831 सहित 10000–10000/– (दस–दस हजार रूपये) के जमानत प्रपत्र प्रस्तुत किये गये। जमानतदार की पहचान अधिवक्ता श्री अभिषेक सिंह अधिवक्ता द्वारा की गई।

अभियुक्तगण की ओर से इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत किया गया।

जमानत बाद तस्दीक स्वीकार की गयी।

प्रत्येक अभियुक्तगण को निर्णय की निःशुक्ल प्रति प्रदान की गई।

अभियुक्तगण को स्थगन आदेश लाने तक जमानत पर छोड़ा जावे।

प्रकरण स्थगन आदेश प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 11.07.2023 को पेश हो।

विनोद कुमार चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
हनुमना, जिला रीवा म.प्र.

अभियुक्त रामाश्रय पटेल की ओर से अधिवक्ता श्री आर0ए0 पटेल ने एक आवेदन पत्र अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389 के अंतर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्त को उक्त निर्णय के विरूद्व अपील करना चाहता है। अतः अभियुक्त को अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदेश लाने तक जमानत पर छोड़ा जावे।

उक्त आवेदन को एम.जे.सी.आर. पंजी में दर्ज किया जावे।

प्रकरण कुछ समय पश्चात पेश हो।

विनोद कुमार चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
हनुमना, जिला रीवा म.प्र.

पुनश्चः—

पक्षकार पूर्ववत्।

प्रकरण एम.जे.सी.आर. पंजी क्रमांक /2023 के रूप में पंजीबद्ध पश्चात पुनः पेश।

उक्त आवेदन की प्रति ए0डी0पी0ओ0 को प्रदान की गई।

आवेदन पत्र पर उभयपक्षों को सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि इस न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक **RCT 100449/2014** में **अभियुक्त रामाश्रय पटेल पिता विश्वनाथ पटेल उम्र लगभग 75 वर्ष निवासी ग्राम दुवगवां थाना व तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0** को **भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 323 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्धि कर तीन माह के सश्रम कारावास तथा 500/—रूपये (पांच सौ रूपये) के जुर्माने से दण्डित किया जाता है।** अर्थदण्ड अदा न करने के व्यतिक्रम में अभियुक्त को एक माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताये जाने का दण्डादेश दिया गया है।

अभियुक्त रामाश्रय पटेल की ओर से अर्थदंड की राशि चालान नंबर 033015 दिनांक—31.03.2023 के माध्यम से 500/— (पांच सौ रूपये) संदाय किया जा चुका है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 389 (3) में यह प्रावधान किया गया है कि जहां दोषसिद्ध व्यक्ति ऐसे न्यायालय का जिसके द्वारा वह दोषसिद्ध किया गया है यह समाधान कर देता है कि वह अपील प्रस्तुत करना चाहता है वहां वह न्यायालयः

(1) उस दशा में जब ऐसा व्यक्ति जमानत पर होते हुये तीन वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है या

(2) उस दशा में जब वह अपराध जिसके लिये ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध किया गया है जमानती है और वह जमानत पर है

यह आदेश देगा कि दोषसिद्ध व्यक्ति को इतनी अवधि के लिए जितनी से अपील प्रस्तुत करने और अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जायेगा, जमानत पर छोड दिया जायेगा जब तक की जमानत से इंकार करने के विशेष कारण न हो और जब तक वह ऐसे जमानत पर छूटा रहता है तब तक वह कारावास का दंडादेश निलंबित समझा जायेगा।

चूंकि अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा **तीन माह** के सश्रम कारावास से दंडादिष्ट किया है जो कि अपील योग्य है और उक्त अपराध अजमानती प्रकृति का है और अपराधी पूर्व से जमानत पर रहते हुये तीन वर्ष से अनाधिक अवधि के कारावास से दण्डाष्टि किया गया है और अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्व अपील किये जाने की इच्छा व्यक्त की है।

अतः इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अपील प्रस्तुत करने एवं अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए तीस दिन दिनांक 01.05.2023 का समय प्रदान किया जाता है जो कि इस न्यायालय के मतानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय होगा।

उक्त अवधि में अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदेश लाकर पेश करने तक **अभियुक्त रामाश्रय पटेल पिता विश्वनाथ पटेल की ओर से 10000/—(दस हजार रूपये) की सक्षम जमानत** और इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र पेश करे तो दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 389 (3) के तहत इस शर्तो पर जमानत पर छोडा जाता है कि वह इस न्यायालय द्वारा विहित की गई अवधि अर्थात् दिनांक 01.05.2023 के भीतर इस न्यायालय द्वारा दिये गये दंडादेश के निष्पादन को स्थगित किये जाने वाला स्थगन आदेश प्रस्तुत करे।

तद्ानुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 389—3 निराकृत किया जाता है।

विनोद कुमार चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
हनुमना, जिला रीवा म.प्र.

पुनश्चः–

अभियुक्त की ओर से उक्त जमानत आदेश के पालन में जमानतदार शकुन्तला पटेल पति कंजलोचन उम्र 40 वर्ष साकिन दुवगवा थाना तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0 द्वारा भू–अधिकर ऋण पुस्तिका एल कमांक एल 695852 सहित 10000/– (दस हजार रूपये) के जमानत प्रपत्र प्रस्तुत किये गये। जमानतदार की पहचान अधिवक्ता श्री आर0ए0 पटेल अधिवक्ता द्वारा की गई।

अभियुक्त की ओर से इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत किया गया।

जमानत बाद तस्दीक स्वीकार की गयी।

अभियुक्तगण को स्थगन आदेश लाने तक जमानत पर छोड़ा जावे।

प्रकरण स्थगन आदेश प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 01.05.2023 को पेश हो।

विनोद कुमार चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
हनुमना, जिला रीवा म.प्र.

अभियुक्त शिवकरण साकेत, विन्धेश्वरी प्रसाद साकेत की ओर से अधिवक्ता श्री केशव प्रसाद शुक्ला ने एक आवेदन पत्र अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389 के अंतर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण को उक्त निर्णय के विरूद्व अपील करना चाहता है। अतः अभियुक्तगण को अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदेश लाने तक जमानत पर छोड़ा जावे।

उक्त आवेदन को एम.जे.सी.आर. पंजी में दर्ज किया जावे।

प्रकरण कुछ समय पश्चात पेश हो।

विनोद कुमार चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
हनुमना, जिला रीवा म.प्र.

<u>पुनश्चः—</u>

पक्षकार पूर्ववत्।

प्रकरण एम.जे.सी.आर. पंजी क्रमांक 5/2023 के रूप में पंजीबद्ध पश्चात पुनः पेश।

उक्त आवेदन की प्रति ए0डी0पी0ओ0 को प्रदान की गई।

आवेदन पत्र पर उभयपक्षों को सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि इस न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक **<u>RCT 100442/2012</u>** में **अभियुक्त** शिवकरण साकेत पिता विन्धेश्वरी साकेत उम्र—लगभग 32 वर्ष, को **भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 323, 323/34 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्धि कर तीन माह के सश्रम कारावास तथा 500/—रूपये (पांच सौ रूपये) के जुर्माने से तथा** विन्धेश्वरी प्रसाद साकेत पिता गंभीरे साकेत उम्र—लगभग 52 वर्ष को **भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 323, 323/34 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्धि कर तीन माह के सश्रम कारावास तथा 500/—रूपये (पांच सौ रूपये) के जुर्माने से दण्डित किया जाता है।** अर्थदण्ड अदा न करने के व्यतिक्रम में अभियुक्त को एक माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताये जाने का दण्डादेश दिया गया है।

अभियुक्त शिवकरण साकेत की ओर से अर्थदंड की राशि चालान नंबर 027390 दिनांक—30.01.2023 के माध्यम से 1000/— (एक हजार रूपये) तथा अभियुक्त विन्ध्येश्वरी साकेत की ओर से अर्थदंड की राशि चालान नम्बर 027366 दिनांक—30.01.2023 के माध्यम से 1000/— (एक हजार रूपये) संदाय किया जा चुका है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 389 (3) में यह प्रावधान किया गया है कि जहां दोषसिद्ध व्यक्ति ऐसे न्यायालय का जिसके द्वारा वह दोषसिद्ध किया गया है यह समाधान कर देता है कि वह अपील प्रस्तुत करना चाहता है वहां वह न्यायालयः

(1) उस दशा में जब ऐसा व्यक्ति जमानत पर होते हुये तीन वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है या

(2) उस दशा में जब वह अपराध जिसके लिये ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध किया गया है जमानती है और वह जमानत पर है

यह आदेश देगा कि दोषसिद्ध व्यक्ति को इतनी अवधि के लिए जितनी से अपील प्रस्तुत करने और अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जायेगा, जमानत पर छोड दिया जायेगा जब तक की जमानत से इंकार करने के विशेष कारण न हो और जब तक वह ऐसे जमानत पर छूटा रहता है तब तक वह कारावास का दंडादेश निलंबित समझा जायेगा।

चूंकि अभियुक्तगण को इस न्यायालय द्वारा **तीन–तीन माह** के सश्रम कारावास से दंडादिष्ट किया है जो कि अपील योग्य है और उक्त अपराध अजमानती प्रकृति का है और अपराधी पूर्व से जमानत पर रहते हुये तीन वर्ष से अनाधिक अवधि के कारावास से दण्डाष्टि किया गया है और अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्व अपील किये जाने की इच्छा व्यक्त की है।

अतः इस न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को अपील प्रस्तुत करने एवं अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए तीस दिन दिनांक 01.03.2023 का समय प्रदान किया जाता है जो कि इस न्यायालय के मतानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय होगा।

उक्त अवधि में अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदेश लाकर पेश करने तक **अभियुक्त शिवकरण साकेत एवं विन्ध्येश्वरी साकेत को 10,000–10000/–(दस–दस हजार रूपये) की सक्षम जमानत** और इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र पेश करे तो दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 389 (3) के तहत इस शर्तों पर जमानत पर छोडा जाता है कि वह इस न्यायालय द्वारा विहित की गई अवधि अर्थात् दिनांक 01.03.2023 के भीतर इस न्यायालय द्वारा दिये गये दंडादेश के निष्पादन को स्थगित किये जाने वाला स्थगन आदेश प्रस्तुत करे।

तद्नुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 389–3 निराकृत किया जाता है।

विनोद कुमार चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
हनुमना, जिला रीवा म.प्र.

पुनश्चः–

अभियुक्तगण की ओर से उक्त जमानत आदेश के पालन में जमानतदार रमाशंकर पिता रघुवंश प्रसाद मिश्रा उम्र–46 वर्ष साकिन बिरहा गोपाल थाना हनुमना जिला रीवा म0प्र0 द्वारा भू–अधिकर ऋण पुस्तिका एल कमांक एल 756496 सहित 10,000–10000/– (दस–दस हजार रूपये) के जमानत प्रपत्र प्रस्तुत किये गये। जमानतदार की

पहचान अधिवक्ता श्री केशव प्रसाद शुक्ला अधिवक्ता द्वारा की गई।

अभियुक्तगण की ओर से इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत किया गया।

जमानत बाद तस्दीक स्वीकार की गयी।

अभियुक्तगण को स्थगन आदेश लाने तक जमानत पर छोड़ा जावे।

प्रकरण स्थगन आदेश प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 0.01.2023 को पेश हो।

विनोद कुमार चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
हनुमना, जिला रीवा म.प्र.

अभियुक्त बृजलाल साकेत, दिनेश साकेत की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र द्विवेदी ने एक आवेदन पत्र अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389 के अंतर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण को उक्त निर्णय के विरूद्व अपील करना चाहता है। अतः अभियुक्तगण को अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदेश लाने तक जमानत पर छोड़ा जावे।

उक्त आवेदन को एम.जे.सी.आर. पंजी में दर्ज किया जावे।

प्रकरण कुछ समय पश्चात पेश हो।

विनोद कुमार चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
हनुमना, जिला रीवा म.प्र.

<u>पुनश्चः—</u>

पक्षकार पूर्ववत्।

प्रकरण एम.जे.सी.आर. पंजी क्रमांक 3/2023 के रूप में पंजीबद्ध पश्चात पुनः पेश।

उक्त आवेदन की प्रति ए0डी0पी0ओ0 को प्रदान की गई।

आवेदन पत्र पर उभयपक्षों को सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि इस न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 832/2014 में **अभियुक्त दिनेश साकेत पिता बृजलाल साकेत उम्र लगभग—40 वर्ष, बृजलाल साकेत पिता विश्वनाथ साकेत उम्र लगभग 70 वर्ष दोनों निवासी दोनों निवासी ग्राम शाहपुर थाना शाहपुर जिला रीवा म0प्र0** को **भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 323(दो शीर्ष),323/34(दो शीर्ष) के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्धि कर तीन—तीन माह के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक आरोपीगण से 1000—1000/—(एक—एक हजार रूपये) के जुर्माने से दण्डित किया जाता है।** अर्थदण्ड अदा न करने के व्यतिक्रम में अभियुक्त को एक माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताये जाने का दण्डादेश दिया गया है।

अभियुक्त बृजलाल साकेत की ओर से अर्थदंड की राशि चालान नंबर 016224 दिनांक—18.01.2023 के माध्यम से 1000/— (एक हजार रूपये) तथा अभियुक्त दिनेश साकेत की ओर से अर्थदंड की राशि चालान नम्बर 016213 दिनांक—18.01.2023 के माध्यम से 1000/— (एक हजार रूपये) संदाय किया जा चुका है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 389 (3) में यह प्रावधान किया गया है कि जहां दोषसिद्ध व्यक्ति ऐसे न्यायालय का जिसके द्वारा वह दोषसिद्ध किया गया है यह समाधान कर देता है कि वह अपील प्रस्तुत करना चाहता है वहां वह न्यायालयः

(1) उस दशा में जब ऐसा व्यक्ति जमानत पर होते हुये

तीन वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है या

(2) उस दशा में जब वह अपराध जिसके लिये ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध किया गया है जमानती है और वह जमानत पर है

यह आदेश देगा कि दोषसिद्ध व्यक्ति को इतनी अवधि के लिए जितनी से अपील प्रस्तुत करने और अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जायेगा, जमानत पर छोड दिया जायेगा जब तक की जमानत से इंकार करने के विशेष कारण न हो और जब तक वह ऐसे जमानत पर छूटा रहता है तब तक वह कारावास का दंडादेश निलंबित समझा जायेगा।

चूंकि अभियुक्तगण को इस न्यायालय द्वारा **तीन–तीन माह** के सश्रम कारावास से दंडादिष्ट किया है जो कि अपील योग्य है और उक्त अपराध अजमानती प्रकृति का है और अपराधी पूर्व से जमानत पर रहते हुये तीन वर्ष से अनाधिक अवधि के कारावास से दण्डाष्टि किया गया है और अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्व अपील किये जाने की इच्छा व्यक्त की है।

अतः इस न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को अपील प्रस्तुत करने एवं अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए तीस दिन दिनांक 16.02.2023 का समय प्रदान किया जाता है जो कि इस न्यायालय के मतानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय होगा।

उक्त अवधि में अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदेश लाकर पेश करने तक **अभियुक्त बृजलाल साकेत एवं दिनेश साकेत को 10,000–10000/–(दस–दस हजार रूपये) की सक्षम जमानत** और इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र पेश करे तो दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 389 (3) के तहत इस शर्तों पर जमानत पर छोडा जाता है कि वह इस न्यायालय द्वारा विहित की गई अवधि अर्थात् दिनांक 16.02.2023 के भीतर इस न्यायालय द्वारा दिये गये दंडादेश के निष्पादन को स्थगित किये जाने वाला स्थगन आदेश प्रस्तुत करे।

तद्नुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 389–3 निराकृत किया जाता है।

विनोद कुमार चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
हनुमना, जिला रीवा म.प्र.

<u>पुनश्चः–</u>

अभियुक्तगण की ओर से उक्त जमानत आदेश के पालन में जमानतदार विनायक सोनी पिता श्यामबिहारी सोनी उम्र–68 वर्ष साकिन शाहपुर थाना शाहपुर जिला रीवा म0प्र0 द्वारा भू–अधिकर ऋण पुस्तिका सी0एल0आर0 11044011125 सहित 10,000–10000/– (दस–दस हजार रूपये) के जमानत प्रपत्र प्रस्तुत किये गये। जमानतदार की पहचान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र द्विवेदी अधिवक्ता द्वारा की गई।

अभियुक्तगण की ओर से इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत किया गया।

जमानत बाद तस्दीक स्वीकार की गयी।

अभियुक्तगण को स्थगन आदेश लाने तक जमानत पर छोड़ा जावे।

प्रकरण स्थगन आदेश प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 16.02. 2023 को पेश हो।

विनोद कुमार चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
हनुमना, जिला रीवा म.प्र.

च

07-01-2022 अभियुक्त रोशनी हरदहा की ओर से अधिवक्ता श्री

सलीम जावेद खान ने एक आवेदन पत्र अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389 के अंतर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्त **रोशनी हरदहा** उक्त निर्णय के विरूद्व अपील करना चाहता है। अतः अभियुक्त को अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदेश लाने तक जमानत पर छोड़ा जावे।

उक्त आवेदन को एम.जे.सी. पंजी में दर्ज किया जावे।

प्रकरण कुछ समय पश्चात पेश हो।

विनोद कुमार चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
मण्डला, जिला मण्डला म.प्र.

पुनश्चः—

पक्षकार पूर्ववत्।

प्रकरण एम.जे.सी. पंजी क्रमांक .... के रूप में पंजीबद्ध पश्चात पुनः पेश।

उक्त आवेदन की प्रति ए0डी0पी0ओ0 को प्रदान की गई।

आवेदन पत्र पर उभयपक्षों को सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि इस न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 438/2018 में अभियुक्त **रोशनी हरदहा** पति सतीष हरदहा, आयु 38 वर्ष, निवासी–वार्ड नंबर 15, थाना बम्हनी, जिला मण्डला (मध्यप्रदेश) को **भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 323 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्धि कर तीन माह के सश्रम कारावास तथा 500/– (पांच सौ रूपए) के जुर्माने से दण्डित किया जाता है।** अर्थदण्ड अदा न करने के व्यतिक्रम में अभियुक्त को एक माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताये जाने का दण्डादेश दिया गया है।

अभियुक्त रोशनी हरदहा की ओर से अर्थदंड की राशि चालान नंबर .... के माध्यम से 500 (पांच सौ रूपये) संदाय किया जा चुका है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 389 (3) में यह प्रावधान किया गया है कि जहां दोषसिद्ध व्यक्ति ऐसे न्यायालय का जिसके द्वारा वह दोषसिद्ध किया गया है यह समाधान कर देता है कि वह अपील प्रस्तुत करना चाहता है वहां वह न्यायालयः

(1) उस दशा में जब ऐसा व्यक्ति जमानत पर होते हुये तीन वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है या

(2) उस दशा में जब वह अपराध जिसके लिये ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध किया गया है जमानती है और वह जमानत पर है

यह आदेश देगा कि दोषसिद्ध व्यक्ति को इतनी अवधि के लिए जितनी से अपील प्रस्तुत करने और अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जायेगा,

जमानत पर छोड दिया जायेगा जब तक की जमानत से इंकार करने के विशेष कारण न हो और जब तक वह ऐसे जमानत पर छूटा रहता है तब तक वह कारावास का दंडादेश निलंबित समझा जायेगा।

चूंकि अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा **तीन माह** के सश्रम कारावास से दंडादिष्ट किया है जो कि अपील योग्य है और उक्त अपराध अजमानती प्रकृति का है और अपराधी पूर्व से जमानत पर रहते हुये तीन वर्ष से अनाधिक अवधि के कारावास से दण्डाष्टि किया गया है और अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्व अपील किये जाने की इच्छा व्यक्त की है।

अतः इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अपील प्रस्तुत करने एवं अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए तीस दिन दिनांक 07.02.2022 का समय प्रदान किया जाता है जो कि इस न्यायालय के मतानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय होगा।

उक्त अवधि में अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदेश लाकर पेश करने तक **अभियुक्त रोशनी हरदहा को 20,000/–(बीस हजार रूपये) की सक्षम जमानत** और इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र पेश करे तो दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 389 (3) के तहत इस शर्तो पर जमानत पर छोडा जाता है कि वह इस न्यायालय द्वारा विहित की गई अवधि अर्थात् दिनांक 07.02.2022 के भीतर इस न्यायालय द्वारा दिये गये दंडादेश के निष्पादन को स्थगित किये जाने वाला स्थगन आदेश प्रस्तुत करे।

तद्नुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 389–3 निराकृत किया जाता है।

विनोद कुमार चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
मण्डला, जिला मण्डला म.प्र.

पुनश्चः–

अभियुक्त की ओर से उक्त जमानत आदेश के पालन में जमानतदार रश्मि हरदहा पिता छवी लाल हरदहा, उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम सर्री पोस्ट जहरमउ थाना बम्हनी तहसील नैनपुर जिला मण्डला मध्य प्रदेश, द्वारा भू–अधिकर ऋण पुस्तिका कमांक 045988 सहित 20,000/– (बीस हजार रूपये) के जमानत प्रपत्र प्रस्तुत किये गये। जमानतदार की पहचान अधिवक्ता श्री सलीम जावेद अधिवक्ता द्वारा की गई।

अभियुक्त की ओर से इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत किया गया।

जमानत बाद तस्दीक स्वीकार की गयी।

अभियुक्त को स्थगन आदेश लाने तक जमानत पर छोड़ा जावे।

प्रकरण स्थगन आदेश प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 07.02.2022 को पेश हो।

विनोद कुमार चौधरी

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
मण्डला, जिला मण्डला म.प्र.

च

06.02.2020

आवेदक/अभियुक्त **सुमित उर्फ अट्टु, शिवम उर्फ तारेन्द्र एवं निक्की उर्फ नागेन्द्र** सहित श्री शुभांक पटैल अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्रीमती उज्जवला उइके ए.डी.पी.ओ. उपस्थित।

प्रकरण स्थगन आदेश प्रस्तुत करने हेतु नियत है।

अभियुक्त एवं उसके अधिवक्ता श्री शुभांक पटैल द्वारा उपस्थित होकर माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, मण्डला की न्यायालय के दाण्डिक अपील क्रमांक 07/2020 में पारित आदेश दिनांक 21.01.2020 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई।

आदेश के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि, अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389 स्वीकार कर आवेदक के द्वारा इस न्यायालय में 25,000–25,000/– (पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये) की सक्षम व्यक्ति की जमानत तथा इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंध पत्र संतुष्टि योग्य प्रस्तुत किये जाने

पर आवेदकगण को प्रत्येक पेशी तिथि में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने की शर्त पर अपील के अंतिम निराकरण तक स्थगित किया है।

अभियुक्तगण की ओर से उक्त आदेश के पालन में जमानतदार रंजीत पिता दुखीराम, उम्र 45 वर्ष निवासी रानी अवंती बाई वार्ड मोहल्ला थाना व जिला मण्डला मध्य प्रदेश, पटवारी हल्का नंबर 35 राजस्व निरीक्षक मंडल मण्डला विकासखण्ड मण्डला तहसील व जिला मण्डला द्वारा भू–अधिकर ऋण पुस्तिका क्रमांक 537338 सहित 25,000–25,000/–(पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये) के जमानत प्रपत्र प्रस्तुत किये गये। जमानतदार की पहचान श्री शुभांक पटेल अधिवकता द्वारा की गई।

अभियुक्त की ओर से इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र प्रस्तुत किया गया।

जमानत बाद तस्दीक स्वीकार की गयी।

पत्रावली प्रपत्र सहित संबंधित अपीलीय न्यायलय के समक्ष भेजी जावे। ..प

(विनोद कुमार चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला मण्डला म.प्र.

06.02.2020

आवेदक/अभियुक्त **राकेश चकवर्ती** सहित श्री देवेश पाण्डेय अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्रीमती उज्जवला उइके ए.डी.पी.ओ. उपस्थित।

प्रकरण स्थगन आदेश प्रस्तुत करने हेतु नियत है।

अभियुक्त एवं उसके अधिवक्ता श्री देवेश पाण्डेय द्वारा

उपस्थित होकर माननीय पंचम सत्र न्यायाधीश महोदय, मण्डला की न्यायालय के के दाण्डिक अपील क्रमांक 08/2020 में पारित आदेश दिनांक 05.02.2020 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई।

आदेश के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि, अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389 स्वीकार कर आवेदक के द्वारा इस न्यायालय में 10,000/– (दस हजार रूपये) की सक्षम व्यक्ति की जमानत तथा इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंध पत्र संतुष्टि योग्य प्रस्तुत किये जाने पर आवेदक को प्रत्येक पेशी तिथि में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने की शर्त पर अपील के अंतिम निराकरण तक स्थगित किया है।

अभियुक्त की ओर से उक्त आदेश के पालन में जमानतदार सेवाराम पिता जीवनलाल, उम्र करीब 63 वर्ष निवासी–ग्राम घुघरी थाना व तहसील घुघरी जिला मण्डला मध्य प्रदेश, पटवारी हल्का नंबर 66 राजस्व निरीक्षक मंडल घुघ ारी विकासखण्ड घुघरी तहसील व जिला मण्डला द्वारा भू–अधिकर ऋण पुस्तिका क्रमांक 588120 सहित 10,000/–(दस हजार रूपये) के जमानत प्रपत्र प्रस्तुत किये गये। जमानतदार की पहचान श्री महोदव साहू मुंशी द्वारा की गई।

अभियुक्त की ओर से इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र प्रस्तुत किया गया।

जमानत बाद तस्दीक स्वीकार की गयी।

पत्रावली प्रपत्र सहित संबंधित अपीलीय न्यायलय के समक्ष भेजी जावे।

(विनोद कुमार चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला मण्डला म.प्र.

13.01.2020:–

आवेदक/अभियुक्त **पूरनलाल भवेदी** सहित श्री जितेन्द्र ठाकुर अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्रीमती उज्जवला उइके ए.डी.पी.ओ. उपस्थित।

प्रकरण स्थगन आदेश प्रस्तुत करने हेतु नियत है।

अभियुक्त एवं उसके अधिवक्ता श्री जितेन्द्र ठाकुर द्वारा उपस्थित होकर माननीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय, मण्डला की न्यायालय के के दाण्डिक अपील क्रमांक 04/2020 में पारित आदेश दिनांक 13.01.2020 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई।

आदेश के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि,

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389 स्वीकार कर आवेदक के द्वारा इस न्यायालय में 25,000/– (पच्चीस हजार रूपये) की सक्षम व्यक्ति की जमानत तथा इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंध पत्र संतुष्टि योग्य प्रस्तुत किये जाने पर आवेदक को प्रत्येक पेशी तिथि में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने की शर्त पर अपील के अंतिम निराकरण तक स्थगित किया है।

अभियुक्त की ओर से उक्त आदेश के पालन में जमानतदार

राजेश कुमार पिता प्रेमचंद जैन, उम्र करीब 50 वर्ष निवासी सरदार भगत सिंह वार्ड थाना व जिला मण्डला मध्य प्रदेश, पटवारी हल्का नंबर 23 राजस्व निरीक्षक मंडल मण्डला विकासखण्ड मण्डला जिला मण्डला द्वारा भू–अधिकर ऋण पुस्तिका क्रमांक 533206 सहित 25,000/– (पच्चीस हजार रूपये) के जमानत प्रपत्र प्रस्तुत किये गये। जमानतदार की पहचान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र ठाकुर द्वारा की गई।

अभियुक्त की ओर से इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र प्रस्तुत किया गया।

जमानत बाद तस्दीक स्वीकार की गयी।

पत्रावली प्रपत्र सहित संबंधित अपीलीय न्यायलय के समक्ष भेजी जावे।

(विनोद कुमार चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला मण्डला म.प्र.

13.01.2020 अभियुक्त **राकेश चकवर्ती** की ओर से अधिवक्ता श्री देवेश पाण्डेय ने एक आवेदन पत्र अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389 के अंतर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्त **राकेश चकवर्ती** उक्त निर्णय के विरूद्व अपील

करना चाहता है। अतः अभियुक्त को अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदेश लाने तक जमानत पर छोड़ा जावे।

उक्त आवेदन की प्रति ए0डी0पी0ओ0 को प्रदान की गई।

आवेदन पत्र पर उभयपक्षों को सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि इस न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 498/2018 में अभियुक्त राकेश चकव्रर्ती आत्मज श्री सेवाराम चकव्रर्ती, उम्र 29 वर्ष निवासी–ग्राम घुघरी थाना व तहसील घुघरी जिला मण्डला (मध्यप्रदेश) को **भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 323 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्धि कर अभियुक्त को तीन माह के सश्रम कारावास तथा 500/– (पांच सौ) रूपए के जुर्माने से दण्डित किया जाता है।** अर्थदण्ड अदा करने के व्यतिक्रम में अभियुक्त को एक माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताये जाने का दण्डादेश दिया गया है।

अभियुक्त **राकेश चकवर्ती** की ओर से अर्थदंड की राशि **रसीद बुक नंबर 35669 रसीद कमांक 54** के माध्यम से 500 (पांच सौ हजार) संदाय किया जा चुका है।

दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 389 (3) में यह प्रावधान किया गया है कि जहां दोषसिद्ध व्यक्ति ऐसे न्यायालय का जिसके द्वारा वह दोषसिद्ध किया गया है यह समाधान कर देता है कि वह अपील प्रस्तुत करना चाहता है वहां वह न्यायालयः

(1) उस दशा में जब ऐसा व्यक्ति जमानत पर होते हुये तीन वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है या

(2) उस दशा में जब वह अपराध जिसके लिये ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध किया गया है जमानती है और वह जमानत पर है

यह आदेश देगा कि दोषसिद्ध व्यक्ति को इतनी अवधि के लिए जितनी से अपील प्रस्तुत करने और अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जायेगा, जमानत पर छोड दिया जायेगा जब तक की जमानत से इंकार करने के विशेष कारण न हो और जब तक वह ऐसे जमानत पर छूटा रहता है तब तक वह कारावास का दंडादेश निलंबित समझा जायेगा।

चूंकि अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा तीन माह के कारावास से दंडादिष्ट किया है जो कि अपील योग्य है और उक्त अपराध जमानती प्रकृति का है और अपराधी पूर्व से जमानत पर रहते हुये तीन वर्ष से अनाधिक अवधि के कारावास से दण्डाष्टि किया गया है और अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्व अपील किये जाने की इच्छा व्यक्त की है।

अतः इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अपील प्रस्तुत करने एवं अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए दिनांक 20.02.2020 का समय प्रदान किया जाता है जो कि

इस न्यायालय के मतानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय होगा।

उक्त अवधि में अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदेश लाकर पेश करने तक **अभियुक्त राकेश चकवर्ती को 10,000/–(दस हजार रूपये) की सक्षम जमानत** और इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र पेश करे तो दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 389 (3) के तहत इस शर्तों पर जमानत पर छोडा जाता है कि वह इस न्यायालय द्वारा विहित की गई अवधि अर्थात् दिनांक 20.02.2020 के भीतर इस न्यायालय द्वारा दिये गये दंडादेश के निष्पादन को स्थगित किये जाने वाला स्थगन आदेश प्रस्तुत करे।

तद्नुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 389–3 निराकृत किया जाता है।

विनोद कुमार चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
मण्डला, जिला मण्डला म.प्र.

<u>पुनश्चः–</u>

अभियुक्त की ओर से उक्त जमानत आदेश के पालन में जमानतदार सेवाराम पिता जीवनलाल, उम्र करीब 62 वर्ष निवासी घुघरी थाना व तहसील वह थाना घुघरी जिला मण्डला मध्य प्रदेश, पटवारी हल्का नंबर 66 राजस्व निरीक्षक मंडल घुघरी विकासखण्ड घुघरी जिला मण्डला द्वारा भू–अधिकर ऋण पुस्तिका सहित 10,000/– (दस हजार रूपये) के जमानत प्रपत्र प्रस्तुत किये गये। जमानतदार की पहचान अधिवक्ता श्री नवल किशोर बर्मन अधिवक्ता द्वारा की गई।

अभियुक्त की ओर से इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत किया गया।

जमानत बाद तस्दीक स्वीकार की गयी।

अभियुक्त को स्थगन आदेश लाने तक जमानत पर छोड़ा जावे।

प्रकरण स्थगन आदेश प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 20.02.2020 को पेश हो।

विनोद कुमार चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
मण्डला, जिला मण्डला म.प्र.

08.01.2020 अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री शुभांक पटैल ने एक आवेदन पत्र अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389 के अंतर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण उक्त निर्णय के विरूद्व अपील करना चाहता है। अतः अभियुक्तगण को अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदेश लाने तक जमानत पर छोड़ा जावे।

उक्त आवेदन की प्रति ए0डी0पी0ओ0 को प्रदान की गई।

आवेदन पत्र पर उभयपक्षों को सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि इस न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 787/2017 में अभियुक्त 1.अट्टू उर्फ सुमित आत्मज श्री रमेश पटेल, आयु 20 वर्ष, 2.शिवम उर्फ तारेन्द्र आत्मज श्री रूपचंद पटेल, आयु 24 वर्ष, दोनों निवासी– राधाकृष्णन वार्ड मण्डला, थाना व तहसील मण्डला, जिला मण्डला (मध्यप्रदेश) 3. निक्की उर्फ नागेन्द्र आत्मज श्री कृष्णकुमार कछवाहा, आयु 22 वर्ष, निवासी–चिलमन चौक, थाना तहसील व जिला मण्डला (मध्यप्रदेश) को **भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 325/34 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्धि कर प्रत्येक अभियुक्तगण को दो–दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच–पांच हजार रूपए के जुर्माने से दण्डित किया जाता है।** अर्थदण्ड अदा करने के व्यतिक्रम में अभियुक्तगण को एक–एक माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाने का निर्णय पारित किया

गया है।

अभियुक्तगण की ओर से अर्थदंड की राशि **रसीद बुक नंबर 35669 रसीद कमांक 51, 52 एवं 53** के माध्यम से 5000–5000 (पांच–पांच हजार) रूपये कुल 15,000/– (पंद्रह हजार रूपये) संदाय किया जा चुका है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 389 (3) में यह प्रावधान किया गया है कि जहां दोषसिद्ध व्यक्ति ऐसे न्यायालय का जिसके द्वारा वह दोषसिद्ध किया गया है यह समाधान कर देता है कि वह अपील प्रस्तुत करना चाहता है वहां वह न्यायालयः

(1) उस दशा में जब ऐसा व्यक्ति जमानत पर होते हुये तीन वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है या

(2) उस दशा में जब वह अपराध जिसके लिये ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध किया गया है जमानती है और वह जमानत पर है

यह आदेश देगा कि दोषसिद्ध व्यक्ति को इतनी अवधि के लिए जितनी से अपील प्रस्तुत करने और अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जायेगा, जमानत पर छोड दिया जायेगा जब तक की जमानत से इंकार करने के विशेष कारण न हो और जब तक वह ऐसे जमानत पर छूटा रहता है तब तक वह कारावास का दंडादेश निलंबित समझा जायेगा।

चूंकि अभियुक्तगण को इस न्यायालय द्वारा दो–दो वर्ष के कारावास से दंडादिष्ट किया है जो कि अपील योग्य है और उक्त अपराध जमानती प्रकृति का है और अपराधी पूर्व से जमानत पर रहते हुये तीन वर्ष से अनाधिक अवधि के कारावास से दण्डाष्टि किया गया है और अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्व अपील किये जाने की इच्छा व्यक्त की है।

अतः इस न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को अपील प्रस्तुत करने एवं अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए दिनांक 20.02.2020 का समय प्रदान किया जाता है जो कि इस न्यायालय के मतानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय होगा।

उक्त अवधि में अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदेश लाकर पेश करने तक **अभियुक्तगण को**

30,000—30,000/—(तीस—तीस हजार रूपये) की सक्षम जमानत और इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र पेश करे तो दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 389 (3) के तहत इस शर्तों पर जमानत पर छोडा जाता है कि वह इस न्यायालय द्वारा विहित की गई अवधि अर्थात् दिनांक 20.02.2020 के भीतर इस न्यायालय द्वारा दिये गये दंडादेश के निष्पादन को स्थगित किये जाने वाला स्थगन आदेश प्रस्तुत करे।

तद्‌नुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389—3 निराकृत किया जाता है।

विनोद कुमार चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
मण्डला, जिला मण्डला म.प्र.

<u>पुनश्चः—</u>

अभियुक्त की ओर से उक्त जमानत आदेश के पालन में जमानतदार धनलाल पिता मिहीलाल परते, उम्र करीब 41 वर्ष निवासी—खुर्सीपार थाना महाराजपुर जिला मण्डला मध्य प्रदेश, पटवारी हल्का नंबर 1 राजस्व निरीक्षक मंडल बम्हनी विकासखण्ड मण्डला जिला मण्डला द्वारा भू—अधिकर ऋण पुस्तिका कमांक 531711 सहित 30,000—30,000/— (तीस—तीस हजार रूपये) कुल 90,000/— (नब्बे हजार रूपये) के जमानत प्रपत्र प्रस्तुत किये गये। जमानतदार की पहचान अधिवक्ता श्री राजाराम नंदा मुंशी द्वारा की गई।

अभियुक्त की ओर से इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत किया गया।

जमानत बाद तस्दीक स्वीकार की गयी।

अभियुक्त को स्थगन आदेश लाने तक जमानत पर छोड़ा जावे।

प्रकरण स्थगन आदेश प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 20.02.2020 को पेश हो।

विनोद कुमार चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
मण्डला, जिला मण्डला म.प्र.

09.12.19 इस न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 406/2018 में अभियुक्त सतीश उर्फ सुर्रा आत्मज श्री शिवकुमार मरावी, आयु 20 वर्ष, निवासी–ग्राम लखराम रमपुरा, थाना मण्डला, तहसील मण्डला, जिला मण्डला (मध्यप्रदेश) को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 324 में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/–(एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर पृथक से एक माह का सश्रम कारावास भुगताया जाने हेतु दंडित किया गया है, जिसमें अभियुक्त की ओर से अर्थदंड की राशि **जमा नहीं** की गई है।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश सैनी ने एक आवेदन पत्र अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389 के अंतर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्त उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील करना चाहता है। अतः अभियुक्त को अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदेश लाने तक जमानत पर छोड़ा जावे।

उक्त आवेदन की प्रति ए0डी0पी0ओ0 को प्रदान की गई।

आवेदन पत्र पर उभयपक्षों को सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त सतीश उर्फ सुर्रा को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 324 के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/–(एक हजार रूपये) के अर्थदंड से दंडित किया गया है और अर्थदंड की राशि अभियुक्त द्वारा जमा नहीं की

गई है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 389 (3) में यह प्रावधान किया गया है कि जहां दोषसिद्ध व्यक्ति ऐसे न्यायालय का जिसके द्वारा वह दोषसिद्ध किया गया है यह समाधान कर देता है कि वह अपील प्रस्तुत करना चाहता है वहां वह न्यायालयः

(1) उस दशा में जब ऐसा व्यक्ति जमानत पर होते हुये तीन वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है या

(2) उस दशा में जब वह अपराध जिसके लिये ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध किया गया है जमानती है और वह जमानत पर है

यह आदेश देगा कि दोषसिद्ध व्यक्ति को इतनी अवधि के लिए

जितनी से अपील प्रस्तुत करने और अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जायेगा, जमानत पर छोड दिया जायेगा जब तक की जमानत से इंकार करने के विशेष कारण न हो और जब तक वह ऐसे जमानत पर छूटा रहता है तब तक वह कारावास का दंडादेश निलंबित समझा जायेगा।

चूंकि अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा एक वर्ष के कारावास से दंडादिष्ट किया है और उक्त अपराध जमानती प्रकृति का है और अपराधी पूर्व से जमानत पर रहते हुये तीन वर्ष से अनाधिक अवधि के कारावास से दण्डाष्टि किया गया है और अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्व अपील किये जाने की इच्छा व्यक्त की है।

अतः इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अपील प्रस्तुत करने एवं अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए दिनांक 16.01.2020 **का समय प्रदान किया जाता है जो कि इस न्यायालय के मतानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय होगा**

उक्त अवधि में अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदेश लाकर पेश करने तक **अभियुक्त को 30,000/– (तीस हजार रूपये) की सक्षम जमानत** और इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र पेश करे तो दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 389 (3) के तहत इस शर्तो पर जमानत पर छोडा जाता है कि वह इस न्यायालय द्वारा विहित की गई

अवधि अर्थात् दिनांक 16.01.2020 के भीतर इस न्यायालय द्वारा दिये गये दंडादेश के निष्पादन को स्थगित किये जाने वाला स्थगन आदेश प्रस्तुत करे।

तद्‌नुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 389–3 निराकृत किया जाता है।

विनोद कुमार चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
मण्डला, जिला मण्डला म.प्र.

प्रकरण में अभियुक्त द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 389–3 के अंतर्गत तीस हजार रूपये की सक्षम जमानत एवं स्वयं का बंध पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

प्रकरण जमानत एवं स्वयं का बंध पत्र प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 16.01.2020 को प्रस्तुत हो।

पुनश्चः–

अभियुक्त की ओर से उक्त जमानत आदेश के पालन में

जमानतदार बजरूलाल मरावी पिता सिरमू मरावी, उम्र 59 वर्ष निवासी–खैरी थाना महाराजपुर जिला मण्डला मध्य प्रदेश, पटवारी हल्का नंबर 38 राजस्व निरीक्षक मंडल महाराजपुर विकासखण्ड मण्डला जिला मण्डला द्वारा भू–अधिकर ऋण पुस्तिका क्रमांक 054494 सहित 20,000/– (बीस हजार रूपये) के जमानत प्रपत्र प्रस्तुत किये गये। जमानतदार की पहचान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र ठाकुर द्वारा की गई।

अभियुक्त की ओर से इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत किया गया।

जमानत बाद तस्दीक स्वीकार की गयी।

अभियुक्त को स्थगन आदेश लाने तक जमानत पर छोड़ा जावे।

प्रकरण स्थगन आदेश हेतु 30 दिन पश्चात् पेश हो।

विनोद कुमार चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
मण्डला, जिला मण्डला म.प्र.

29.11.19 इस न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 631/17 में अभियुक्त पूरनलाल आत्मज श्री सुवेस भवेदी,आयु–20 वर्ष, निवासी–ग्राम सिंगारपुर, थाना मण्डला, तहसील मण्डला, जिला–मण्डला (मध्य प्रदेश) को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 338 में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/–(एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर पृथक से एक माह का सश्रम कारावास भुगताया जाने हेतु दंडित किया गया है जिसमें अभियुक्त की ओर से अर्थदंड की राशि रसीद क्रमांक 40 के माध्यम से संदाय किया जा चुका है।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र ठाकुर ने एक आवेदन पत्र अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 389 के अंतर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्त उक्त निर्णय के विरूद्व अपील करना चाहता है। अतः अभियुक्त को अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदेश लाने तक जमानत पर छोड़ा जावे।

उक्त आवेदन की प्रति ए0डी0पी0ओ0 को प्रदान की गई।

आवेदन पत्र पर उभयपक्षों को सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि

अभियुक्त पूरन भवेदी को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 338 के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/– (एक हजार रूपये) के अर्थदंड से दंडित किया

गया है और अर्थदंड की राशि अभियुक्त द्वारा रसीद क्रमांक 40 के माध्यम से संदाय किया जा चुका है अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 389 (3) में यह प्रावधान किया गया है कि जहां दोषसिद्ध व्यक्ति ऐसे न्यायालय का जिसके द्वारा वह दोषसिद्ध किया गया है यह समाधान कर देता है कि वह अपील प्रस्तुत करना चाहता है वहां वह न्यायालय उस दशा में जब ऐसा व्यक्ति जमानत पर होते हुये तीन वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है यह आदेश देगा कि दोषसिद्ध व्यक्ति को कितनी अवधि के लिए जितनी से अपील प्रस्तुत करने और अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जायेगा, जमानत पर छोड दिया जायेगा जब तक की जमानत से इंकार करने के विशेष कारण न हो और जब तक वह ऐसे जमानत पर छूटा रहता है तब तक वह कारावास का दंडादेश निलंबित समझा जायेगा।

चूंकि अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा एक वर्ष के कारावास से दंडादिष्ट किया है जिसमें वह पूर्व से जमानत पर रहा है और अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्व अपील किये जाने की इच्छा व्यक्त की है।

अतः इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अपील प्रस्तुत करने एवं अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए दिनांक 06.01.2020 **का समय प्रदान किया जाता है जो कि इस न्यायालय के मतानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय होगा**

उक्त अवधि में अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदेश लाकर पेश करने तक **अभियुक्त को 20,000/– (बीस हजार रूपये) की सक्षम जमानत** और इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र पेश करे तो दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 389 (3) के तहत इस शर्तों पर जमानत पर छोडा जाता है कि वह इस न्यायालय द्वारा विहित की गई अवधि अर्थात् दिनांक 06.01.2020 के भीतर इस न्यायालय द्वारा दिये गये दंडादेश के निष्पादन को स्थगित किये जाने वाला स्थगन आदेश प्रस्तुत करे।

पुनश्चः—

अभियुक्त की ओर से उक्त जमानत आदेश के पालन में जमानतदार बजरूलाल मरावी पिता सिरमू मरावी, उम्र 59 वर्ष निवासी—खैरी थाना महाराजपुर जिला मण्डला मध्य प्रदेश, पटवारी हल्का नंबर 38 राजस्व निरीक्षक मंडल महाराजपुर विकासखण्ड मण्डला जिला मण्डला द्वारा भू—अधिकर ऋण पुस्तिका क्रमांक 054494 सहित 20,000/— (बीस हजार रूपये) के जमानत प्रपत्र प्रस्तुत किये गये। जमानतदार की पहचान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र ठाकुर द्वारा की गई।

अभियुक्त की ओर से इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत किया गया।

जमानत बाद तस्दीक स्वीकार की गयी।

अभियुक्त को स्थगन आदेश लाने तक जमानत पर छोड़ा जावे।

प्रकरण स्थगन आदेश हेतु 30 दिन पश्चात् पेश हो।

विनोद कुमार चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
मण्डला, जिला मण्डला म.प्र.

30.10.19 इस न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 378/17 में अभियुक्त मनसुख, आयु—60 वर्ष, आत्मज श्री भोदूसिंह ठाकुर, निवासी—ग्राम घोघरा, थाना महाराजपुर, तहसील मण्डला, जिला—मण्डला (मध्य प्रदेश) को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 338 में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/—(एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर पृथक से एक माह का सश्रम कारावास भुगताया जाने हेतु दंडित किया गया है जिसमें

अभियुक्त की ओर से अर्थदंड की राशि रसीद क्रमांक 36 के माध्यम से संदाय किया जा चुका है।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश सिंगौर ने एक आवेदन पत्र अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 389(3) के अंतर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्त उक्त निर्णय के विरूद्व अपील करना चाहता है। अतः अभियुक्त को अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदेश लाने तक जमानत पर छोड़ा जावे।

उक्त आवेदन की प्रति ए0डी0पी0ओ0 को प्रदान की गई।

आवेदन पत्र पर उभयपक्षों को सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त मनसुख को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 338 के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/– (एक हजार रूपये) के अर्थदंड से दंडित किया गया है और अर्थदंड की राशि अभियुक्त द्वारा रसीद क्रमांक 36 के माध्यम से संदाय किया जा चुका है अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 389 (3) में यह प्रावधान किया गया है कि जहां दोषसिद्ध व्यक्ति ऐसे न्यायालय का जिसके द्वारा वह दोषसिद्ध किया गया है यह समाधान कर देता है कि वह अपील प्रस्तुत करना चाहता है वहां वह न्यायालय उस दशा में जब ऐसा व्यक्ति जमानत पर होते हुये तीन वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है यह आदेश देगा कि दोषसिद्ध व्यक्ति को कितनी अवधि के लिए जितनी से अपील प्रस्तुत करने और अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जायेगा, जमानत पर छोड दिया जायेगा जब तक की जमानत से इंकार करने के विशेष कारण न हो और जब तक वह ऐसे जमानत पर छूटा रहता है तब तक वह कारावास का दंडादेश निलंबित समझा जायेगा।

चूंकि अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा एक वर्ष के कारावास से दंडादिष्ट किया है जिसमें वह पूर्व से जमानत पर रहा है और अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्व अपील किये जाने की इच्छा व्यक्त की है।

अतः इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अपील प्रस्तुत करने एवं अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए दिनांक 05.12.2019 **का समय प्रदान किया जाता है जो कि इस न्यायालय के मतानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय होगा**

उक्त अवधि में अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदेश लाकर पेश करने तक **अभियुक्त को 20,000/– (बीस हजार रूपये) की सक्षम जमानत** और इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र पेश करे तो दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 389 (3) के तहत इस शर्तो पर जमानत पर छोडा जाता है कि वह इस न्यायालय द्वारा विहित की गई अवधि अर्थात् दिनांक 05.12.2019 के भीतर इस न्यायालय द्वारा दिये गये दंडादेश के निष्पादन को स्थगित किये जाने वाला

स्थगन आदेश प्रस्तुत करे।

विनोद कुमार चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
मण्डला, जिला मण्डला म.प्र.

20.09.19 इस न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 335/18 में अभियुक्त नरेन्द्रसिंह, आयु–26 वर्ष, आत्मज श्री गुलाबसिंह मरकाम, निवासी–ग्राम डिठोरी खोहरी डोभी, थाना नैनपुर, तहसील नैनपुर, जिला–मण्डला (मध्य प्रदेश) को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 338 में अभियुक्त को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/– रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर पृथक से एक माह का सश्रम कारावास भुगताया जाने हेतु दंडित किया गया है जिसमें अभियुक्त की ओर से अर्थदंड की राशि रसीद क्रमांक ....के माध्यम से संदाय कर चुका है।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री नंदकिशोर रजक ने एक आवेदन पत्र अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 389(3) के अंतर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्त उक्त निर्णय के विरूद्व अपील करना चाहता है। अतः अभियुक्त को अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदेश लाने तक जमानत पर छोड़ा जावे।

उक्त आवेदन की प्रति एडीपीओ को प्रदान की गई।

आवेदन पत्र पर उभयपक्षों को सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त नरेन्द्रसिंह मरकाम को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 338 के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/– एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है और अर्थदंड की राशि अभियुक्त द्वारा रसीद कमांक .... के माध्यम से संदाय किया जा चुका है अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है।

दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 389 (3) में यह प्रावधान किया गया है कि जहां दोषसिद्ध व्यक्ति ऐसे न्यायालय का जिसके द्वारा वह दोषसिद्ध किया गया है यह समाधान कर देता है कि वह अपील प्रस्तुत करना चाहता है वहां वह न्यायालय उस दशा में जब ऐसा व्यक्ति जमानत पर होते हुये तीन वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है यह आदेश देगा कि दोषसिद्ध व्यक्ति को कितनी अवधि के लिए जितनी से अपील प्रस्तुत करने और अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जायेगा, जमानत पर छोड दिया जायेगा जब तक की जमानत से इंकार करने के विशेष कारण न हो और जब तक वह ऐसे जमानत पर छूटा रहता है तब तक वह कारावास का दंडादेश निलंबित समझा जायेगा।

चूंकि अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा एक वर्ष के कारावास से दंडादिष्ट किया है जिसमें वह पूर्व से जमानत पर रहा है और अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्व अपील किये जाने की इच्छा व्यक्त की है।

अतः इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अपील प्रस्तुत करने एवं अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए **30 दिन का समय प्रदान किया जाता है जो कि इस न्यायालय के मतानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय होगा**

उक्त अवधि में अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदेश लाकर पेश करने तक **अभियुक्त को 10000/– दस हजार रूपये की सक्षम जमानत** और इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र पेश करे तो दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 389 (3) के तहत इस शर्ता पर जमानत पर छोडा जाता है कि वह इस न्यायालय द्वारा विहित की गई अवधि अर्थात् 30 दिवस के भीतर इस न्यायालय द्वारा दिये गये दंडादेश के निष्पादन को स्थगित किये जाने वाला स्थगन आदेश प्रस्तुत करे।

विनोद कुमार चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
मण्डला, जिला मण्डला म.प्र.

पुनश्चः—

अभियुक्त की ओर से उक्त जमानत आदेश के पालन में जमानतदार शिवकुमार उइके पिता छत्तेलाल उइके निवासी सिलगी थाना बम्हनी जिला मण्डला म.प्र. की ओर से जमानत प्रस्तुत की गयी।

अभियुक्त की ओर से इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत किया गया।

जमानतदार की पहचान श्री सुरेन्द्र नंदा मुंशी द्वारा की गयी। जमानत बाद तस्दीक स्वीकार की गयी।

अभियुक्त को स्थगन आदेश लाने तक जमानत पर छोड़ा जावे।

प्रकरण स्थगन आदेश हेतु 30 दिन पश्चात् पेश हो।

विनोद कुमार चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
मण्डला, जिला मण्डला म.प्र.

03.08.19 इस न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 13/17 में अभियुक्त रवि यादव पिता रामलाल यादव उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम टिकरीटोला थाना बम्हनी जिला मण्डला म.प्र. को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 338 में अभियुक्त को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/– रूपये तथा धारा 279 में 500/–(पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक का कारावास तथा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 3/181 में 500/–(पांच सौ रूपये) के अर्थदंड से दंडित किया गया।

अभियुक्त की ओर से अर्थदंड की राशि जमा की जा चुकी है।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश सैनी ने एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 389(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्त उक्त निर्णय के विरूद्व अपील करना चाहता है। अतः अभियुक्त को अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदेश लाने तक जमानत पर छोड़ा जावे।

आवेदन पत्र पर सुना गया।

अभियुक्त द्वारा अर्थदंड राशि जमा की जा चुकी है। अतः कारावास की सजा का स्थगन आदेश लाने तक के लिए जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया है।

विचारोपरांत आवेदन स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदेश लाने तक उसकी ओर से रूपये 10000/– की जमानत और इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र पेश करे तो अभियुक्त को दिनांक 03/08/2019 तक स्थगन आदेश लाकर न्यायालय में पेश कर दें, तो उसे जमानत पर छोड़ा जावे।

विनोद कुमार चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
मण्डला, जिला मण्डला म.प्र.

पुनश्चः–

अभियुक्त की ओर से उक्त जमानत आदेश के पालन में जमानतदार श्याम गुजर पिता बसोहरी निवासी–ग्वारा थाना बम्हनी, जिला मण्डला की ओर से जमानत प्रस्तुत की गयी।

अभियुक्त की ओर से इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत किया गया।

जमानतदार की पहचान श्री राजेश सैनी अधिवक्ता द्वारा की गयी। जमानत बाद तस्दीक स्वीकार की गयी।

अभियुक्त को स्थगन आदेश लाने तक जमानत पर छोड़ा जावे।

प्रकरण स्थगन आदेश हेतु दिनांक 03/08/2019 को प्रस्तुत हो।

विनोद कुमार चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
मण्डला, जिला मण्डला म.प्र.

16.05.19 इस न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 163/15 में अभियुक्त श्रीमती लक्ष्मी धनगर पति विजय धनगर उम्र 45 वर्ष निवासी भगतसिंह वार्ड मण्डला जिला मण्डला म.प्र. को धारा, 353 भारतीय दण्ड संहिता में अभियुक्त को छः माह का साधारण कारावास एवं 500/– रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

अभियुक्त की ओर से अर्थदंड की राशि जमा की जा चुकी है।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश उपाध्याय ने एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 389(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्त उक्त निर्णय के विरूद्व अपील करना चाहता है। अतः अभियुक्त को अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदेश लाने तक जमानत पर छोड़ा जावे।

आवेदन पत्र पर सुना गया।

अभियुक्त द्वारा अर्थदंड राशि जमा की जा चुकी है। अतः कारावास की सजा का स्थगन आदेश लाने तक के लिए जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया है।

विचारोपरांत आवेदन स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदेश लाने तक उसकी ओर से रूपये 20,000/– की जमानत और इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र पेश करे तो अभियुक्त को दिनांक 17/06/2019 तक स्थगन आदेश लाकर न्यायालय में पेश कर दें, तो उसे जमानत पर छोड़ा जावे।

विनोद कुमार चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
मण्डला, जिला मण्डला म.प्र.

<u>पुनश्चः–</u>

अभियुक्त की ओर से उक्त जमानत आदेश के पालन में जमानतदार श्यामबिहारी पिता सुखलाल उर्म सीताराम निवासी–ग्राम प्रेमपुर जिला मण्डला की ओर से जमानत प्रस्तुत की गयी।

अभियुक्त की ओर से इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत किया गया।

जमानतदार की पहचान श्री राकेश उपाध्याय अधिवक्ता द्वारा की गयी। जमानत बाद तस्दीक स्वीकार की गयी।

अभियुक्त को स्थगन आदेश लाने तक जमानत पर छोड़ा जावे।

प्रकरण स्थगन आदेश हेतु दिनांक 17/06/2019 को प्रस्तुत हो।

विनोद कुमार चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
मण्डला, जिला मण्डला म.प्र.

सेशन कोर्ट

03.08.19 अपीलार्थी/अभियुक्तसहित श्री राजेश सैनी अधिवक्ता उपस्थित।

माननीय सत्र न्यायालय मण्डला के दाण्डिक अपील क्रमांक 51/2019 रवि यादव वि0 म0प्र0 राज्य में टंकित आदेश पत्रिका दिनांक 26.07.2019 की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त हुई।

आदेश के अनुसार अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय में 25,000/—की एक समक्ष व्यक्ति की जमानत एवं इतनी राशि का व्यक्तिगत बंदपत्र इस शर्त के साथ प्रस्तुत किये जाने पर की अपीलार्थी अपील प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रत्येक तिथि में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर निराकरण में सहयोग करने पर करावास के दण्डादेश का निस्पादन अपील के अंतिम निराकरण तक स्थगित किया गया है।

अतः उपरोक्त आदेश के पालन में अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से उसके जमानतदार श्याम गुजर पिता बसोहरीलाल गुजर निवासी सी सी टोला लिमरूआ थाना बम्हनी जिला मण्डला ने 25,000/— रूपये की जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किया जमानतदार की पहचान सुधीर नंदा मुंशी द्वारा की गयी है।

जमानत मुचलका प्रस्तुत। संक्षिप्त पूछताछ उपरांत जमानत प्रपत्र स्वीकार किये गये।

यह जमानत प्रपत्र अपील प्रकरण में संलग्न किये जाने हेतु माननीय सत्र न्यायालय मण्डला भेजे जावे।

विनोद कुमार चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
मण्डला, जिला मण्डला म.प्र.